न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सिद्धार्थ पालानीचामी, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती अम्बा पत्नि गणेश , जाति पुरोहित, निवासी किवरली, तहसील देलदर व अन्य – 14		श्री रावता दत्तकपुत्र अजेतींग जी, जाति पुरोहित, निवासी किवरली, तहसील देलदर व अन्य – 1

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2023
दिनांक 14.09.2023

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपंठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम किवरली, तहसील देलदर में खसरा संख्या 837/1 क्षेत्रफल 0.3920 हेक्टेयर, किस्म चाही–1 तथा खसरा संख्या 838 क्षेत्रफल 0.0885 हैक्टेयर, किस्म गैर मुमकीन की कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य विवाद है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 के गोदी पिता श्री अजेतींग जी के स्वर्गवास होने के पश्चात श्री रूपाजी एवं गुलाबिंग जी एवं उनके भतीजे अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य आपसी सहमति से गांव समाज के मौजिज व्यक्तियों व पंचो की मौजुदगी में संवत् 2025 आषाढ वद 12 के दिन शनिवार को प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि अरठ रानीवाड़ा के बंटवारे के संबंध में एक लिखत निष्पादित की गई थी, जिस लिखत बंटवारे अनुसार सम्पूर्ण कृषि भूमि अरठ रानीवाड़ा में से नीचे के भाग का खेत अर्थात खसरा संख्या 837/1 क्षेत्रफल 0.3920 हैक्टेयर कृषि भूमि अकेले श्री रूपाजी के हक हिस्से में आयी थी, उक्त विवादित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 एवं श्री गुलाबिंग जी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही था। उक्त लिखत बंटवारे पर श्री रूपाजी, श्री गुलाबिंग जी एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये थे, तब से उपरोक्तानुसार ही श्री रूपाजी, श्री गुलाबिंग जी एवं अप्रार्थी संख्या 01 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे तथा बंटवारे में प्राप्त खसरा संख्या 837/1 क्षेत्रफल 0.3920 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 838 क्षेत्रफल 0.0885 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.4805 हैक्टेयर कृषि भूमि सहित शेष सम्पूर्ण कृषि भूमि पर श्री रूपाजी काबिज काश्त रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण अपने परिवार सहित शांतिपूर्वक बतौर खातेदार काबिज होकर बिना किसी बाधा व ऐतराज के उक्त विवादित कृषि भूमि का उपयोग उपभोग अप्रार्थी संख्या 01 की सजग जानकारी में करते चले आ रहे है। यह कि अप्रार्थी संख्या विवादित खसरा संख्या 837/1 क्षेत्रफल 0.3920 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 838 क्षेत्रफल 0.0885 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.4805 हैक्टेयर कृषि भूमि को छोड़कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित शेषकृषि भूमि अरठ रानीवाड़ा में अप्रार्थी संख्या 01 का हक हिस्सा होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में यथावत रहा। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाते हुए अब उक्त विवादित कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति बेचान करना चाहता है। जिससे विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के वैध खातेदारी हक व अधिकारों पर एवं उसके उपयोग उपभोग पर भारी कुठाराघात होगा, प्रार्थीगण अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे, जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम किवरली में अरठ रानीवाड़ा के नाम से स्थित अवश्य हैं कि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि सिर्फ प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य व खातेदारी की नहीं है बल्कि कानुनन उक्त पद वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हक हिस्सा बतौर खातेदार है। यह कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में बताये अनुसार कभी भी आपसी सहमति से रूपाजी एवं गुलाबींगजी व अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य कोई किसी प्रकार का बंटवारा वाद पद संख्या 02 की संपूर्ण कृषि भूमि बाबत् नहीं हुआ है अतः अरठ रानीवाड़ा के बंटवारे के संबंध में कोई लिखित निष्पादित किए जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। प्रार्थीगण के पास ऐसी कोई लिखत हैं और उन्होने पत्रावली में पेश की है तो वह पूर्णतया फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है। यह कि अप्रार्थी का कानुनन विवादित भूमि में 1/2 हक हिस्सा है और प्रार्थीगण या अन्य किसी को भी अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की भूमि के संबंध में किसी प्रकार का उजर ऐतराज करने का और अप्रार्थी संख्या 01 को उसके खातेदारी की भूमि बाबत् किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने से रोकने का कोई कानुनी हक अधिकार नहीं है। यह कि एक सहखातेदार के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा चाही गई प्रार्थना पत्र के पद संख्या 09 में वर्णित निषेधाज्ञा कानुनन जारी ही नही की जा सकती है और ना ही निषेधाज्ञा के वाद के जरिये प्रार्थीगण अथवा अन्य किसी को भी कानुनन खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 का विवादित भूमि पर पूर्व से अपने हक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है अतः जबरन कब्जा करने का सवाल पैदा नहीं होता है। यह कि राजस्थान काष्तकारी अधिनियम में कृषि भूमि के बंटवारे के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित हैं जिस प्रक्रिया से परे जाकर कोई बंटवारा किया भी नहीं जा सकता है और अगर कोई करता भी है तो उसकी कानुनी रूप से कोई वैधता नहीं होती है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी ग्राम किवरली पटवार हल्का तहसील देलदर में खसरा संख्या 837/1 क्षेत्रफल 0.3920 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 838 क्षेत्रफल 0.0885 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है।

हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेष हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:—

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :—soma vs birbal – 1985 RRD 753
" A cotenant can transfer his share in a joint holding But he cannot transfer a particular piece of land unless the suit is validly partitioned ".
अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहा है।
2. सुविधा का संतुलन :—चूंकि खातेदार संयुक्त खातेदारी में से विवादित भूमि के विशेष टुकडे को तब तक हस्तांतरित नही कर सकता जब तक कि मुकदमा वैध रूप से विभाजित नही हो जाए। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहा है।
3. अपूर्तनीय क्षति :—चूंकि विवादित भूमि में से अप्रार्थीगण द्वारा particular/specific piece of land का बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति हो सकती है। अतः अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 16:26:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में सफल रहने से प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय होने से स्वीकार योग्य है तथा अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे विवादित भूमि में से particular/specific piece of land का किसी प्रकार का बेचान ना करें जबकि अपने हिस्से का बेचान करने हेतु उन्हे कोई रोक नहीं है।

सहायक कलक्टर
आबूरोड (सिरोही)

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेष हेतु तीन शर्तें अपने हक में साबित करने में सफल रहने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे विवादित भूमि में से particular/specific piece of land का किसी प्रकार का बेचान ना करें जबकि अपने हिस्से का बेचान करने हेतु उन्हे कोई रोक नहीं है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ पालानीचामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:31 IST
Reason: SelfAttested